

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या -1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946 व 1947 / 2015.....जिला.....जयपुर.....

उनवान-मैसर्स विनोद फेशनर्स प्रा0लि0,जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय,जयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,करापवंचन,जोन-तृतीय जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	----------------------------------	---

03/12/2015

खण्डपीठ
श्री मनोहरपुरी, सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी,तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के क्रमशः प्रकरण संख्या 154,155,156,157,158,159,160व161 /अपील्स/-III /स्थगन/2015-16 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 18.11.2015, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी ने, वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,जोन-तृतीय,जयपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) ने अपने पृथक-पृथक आदेश दिनांक 12.10.2015 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कायम की गई कर, ब्याज व शास्ति की मांग में से शास्ति राशि पर रोक स्वीकार करते हुए,शेष कर व ब्याज की राशि अस्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज को स्थगित किये जाने को विवादित किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

अपील सं.	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	चाहा गया स्थगन
1940/15	2010-11RST	1341722	898954	2683444	2240676
1941/15	2010-11CST	23237	14899	44474	24912
1942/15	2011-12RST	2034970	1119234	4069940	2950707
1943/15	2011-12CST	14728	8100	29456	17600
1944/15	2012-13RST	2445466	220092	4890932	3421013
1945/15	2012-13CST	47655	20492	95310	63381
1946/15	2013-14RST	2538284	786868	5076568	4632666
1947/15	2013-14CST	90001	27900	180002	108901

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। अग्रिम कथन किया कि सुपारी को विभिन्न वस्तुएँ मिलाकर सुगन्धित



.....2

4-2

02/12/2015

-2- अपील संख्या-1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946 व 1947/2015/जयपुर


किया जाता है जो निर्माण प्रक्रिया नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसको निर्माण मानकर करारोपण किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि(चाहे गये स्थगन अनुसार) की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्क के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित अपील संख्या 1543/2015/जयपुर मै0 विनोद फ़ेशनर्स प्रा0लि0,जयपुर बनाम वा.क.अ.प्रति.तृतीय, जयपुर निर्णय दिनांक 05.10.2015 पेश किया।

विभाग के विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया एवं पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात, प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध कायम विवादित मांग राशि क्रमशः रू0 22,40,676/- ,24,919/- ,29,50,707/- ,17,600/- ,34,21,013/- ,63,381/-, 46,32,666/- व 1,08,901/- की वसूली कार्यवाही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस ओदश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णय तक स्थगित की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करेंगे।


फलतः अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।



(ईश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य



(मनोहरपुरी)

सदस्य